

**भारतीय स्टेट बैंक**  
State Bank of India

सिटी क्लब वादी शाखा  
Issuing Branch: BHILAI  
बैंक कोड (CODE No. 00330)  
Tel. No. 0788-2227784

भारतवादी

**DEMAND DRAFT**

श्री जयदेव डी. डी. (EAST) BHANUPRATAPPUR  
रुपये RUPEES

2	3	0	2	2	0	1	5
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

Thirty Five Thousand Only

अदा करें ₹

35000.00

ICI 000401666253

Key OIFCIP

Sr. No. 542736

AMOUNT BELOW 35001 (2/15)

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

कंप्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध  
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध  
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

ड्राफ्ट जारी करने वाला शाखा / ड्राफ्ट जारी करने वाली शाखा  
BRANCH BHANUPRATAPPUR

मूल प्राप्त / VALUE RECEIVED

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक  
BRANCH MANAGER

₹ 1,50,000- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।  
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈886253⑈ 00002000⑈ 000401⑈ 15



वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजस्व अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण:-	
(i)	अनेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर से पखांजुर लाईन का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	70.70 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	पखांजुर तहसील, कापसी, बान्दे एवं आस पास के क्षेत्रों में अत्यधिक विद्युत लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, इस समस्या के निराकरण हेतु पखांजुर में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना स्वीकृत है। जिसके लिये 132 के.व्ही. भानुप्रतापपुर - पखांजुर लाईन का निर्माण किया जाना है। इससे उस क्षेत्र में निरंतर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा एवं उस क्षेत्र के निवासियों को नये रोजगार उपलब्ध होंगे।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	परियोजना निर्माण से लाभ होगा।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से प्रदाय किये जाने से उस क्षेत्र में औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होंगे एवं निवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा। सिंचाई के साधन में विस्तार होने से कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	37.919 हेक्टेयर वन भूमि में 132 के.व्ही. लाईन का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने बाबत।
3	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	
(i)	परिवारो की संख्या।	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारो की संख्या।	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना(संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक

